

**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा**

पीठासीन अधिकारी :- हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :- 23/2014

**वादी**

1. भंवरकंवर पुत्री सवाईसिंह
2. कंचनकंवर पुत्री सवाईसिंह
3. गुलाबकंवर पुत्री सवाईसिंह
4. महेन्द्र कंवर पुत्री सवाईसिंह  
जातियान राजपूत निवासीगण  
खारिया मीठापुर, तहसील बिलाड़ा  
जिला जोधपुर

**बनाम**

**प्रतिवादीगण**

1. महावीरसिंह पुत्र श्री सवाईसिंह
2. नटराजसिंह पुत्र श्री हिम्मतसिंह
3. गरिमा राठौड़ पुत्री हिम्मतसिंह  
जरिये कुदरती वली माता पुष्पा  
राठौड़ पत्नी हिम्मतसिंह
4. पुष्पा राठौड़ पत्नी हिम्मतसिंह
5. धापकंवर पत्नी सवाईसिंह  
जाति राजपूत निवासी खारिया  
मीठापुर तहसील बिलाड़ा
6. सुगरी बानो पत्नी लाल मोहम्मद  
जाति मुसलमान (तेली) निवासी  
खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा
7. मुनेशसिंह पुत्र श्री उम्मेदसिंह जाति  
राजपूत
8. खुशबू पुत्री उम्मेदसिंह
9. मरुधर पत्नी उम्मेदसिंह जातियान  
राजपूत निवासीगण खारिया  
मीठापुर तहसील बिलाड़ा
10. प्रबन्धक आन्ध्रा बैंक शाखा  
कार्यालय बिलाड़ा
11. प्रबन्धक यूको बैंक शाखा खारिया  
मीठापुर तहसील बिलाड़ा
12. तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट**

निर्णय

दिनांक :- 18.05.2017

पत्रावली आज बमुकाम खारिया मीठापुर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर में प्रस्तुत हुई। वादीगण अथवा उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 03.08.2016 की पालना आज दिन तक नहीं की गयी है। आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के अनुसार न्यायालय आदेश के सात दिवस के भीतर-भीतर नोटिस पेश करने आवश्यक है। जबकि वकील वादीगण द्वारा न्यायालय आदेश के उपरान्त करीब 10 माह व्यतीत हो जाने पर भी वकील वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के सम्मन पेश नहीं किये हैं। अतः वादीगण का वाद आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसलशुमार व नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरै इजलास सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा